दिनांक-10जनवरी2020

स्वच्छ भारत अभियान   स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

गंदगी फैलाने वाले प्रतिष्ठान पर उड़नदस्ता की टीम ने लगाया 3000 रुपए जुर्माना, मलबा बाहर फेंकने पर वसूला 1000 रुपए

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई की उड़नदस्ता की टीम लगातार भिलाई निगम के क्षेत्रों का भ्रमण कर गंदगी फैलाने वालों पर कार्यवाही कर रही है इसी के तहत पॉपुलर केक वार्ड क्रमांक 19 शास्त्री नगर द्वारा गंदगी फैलाए जाने पर 3000 जुर्माना वसूल किया गया एवं साफ-सफाई रखने के लिए समझाइश दी गई! नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज घड़ी चौक सुपेला , शास्त्रीनगर, फरीदनगर, शांतिनगर सहित निगम के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित पानी पाउच तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग , एक्सपायरी पेय एवं खाद्य पदार्थ बेचने वालों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही कर 12,000 हजार रूपए का अर्थदण्ड वसूल किए! उड़नदस्ता की टीम ने सुपेला एवं शास्त्री नगर में सघन दौरा कर सड़क पर सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वालो को हटाया और दुकानदारों को समझाइश दी गई कि समान बढ़ाकर व्यवसाय न करें अन्यथा कठोर कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिक निगम, भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने शास्त्रीनगर , आंनद चौक, आकाशगंगा सुपेला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार, प्रतिबंधित पानी पाउच व प्लास्टिक कैरीबैग रखने वालों , बिना लाइसेंस व्यवसाय करने वालों , सड़क बाधा कर व्यवसाय करने वालों पर कार्यवाही की!

जनसम्पर्क अधिकारी